दिनांक 20.02.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नेहरु नगर बाईपास बोगदा के नीचे से जामूल बोगदा कुरुद तक के मार्ग चौड़ीकरण में बाधक बन रहे दुकानों के अवैध निर्माण को नगर पालिक निगम , भिलाई के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्यवाही के पहले दिन 40 दुकानों के सामने हुए अवैध कब्जे को जेसीबी से हटाया गया।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित स्मृति नगर बाईपास बोगदा के नीचे से जामूल बोगदा कुरुद तक के सडक के दोनों ओर आबंटित व्यवसायिक भूखण्ड में निर्मित दुकानों के बाहर टीन शेड डालकर अथवा पक्का निर्माण कर दुकानों की हदें सड़क तक बढ़ा रखा था। सड़क चौड़ीकरण कार्य से पूर्व लोेक निर्माण विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने सर्वेकर स्मृति नगर मुख्य मार्ग, जूनवानी माॅल रोड, अवंती बाई चौक, होते हुए रुंगटा कालेज कुरुद से जामूल बोगदा तक के सड़क के दोनों ओर बनें दुकानों को नोटिस जारी कर उनके द्वारा किये गये सड़क पर अवैध कब्ब्जे को हटाने को कहा गया था।

नोटिस के मियाद खत्म होते ही आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर राजस्व अधिकारी अशोक द्विवेदी ने राजस्व अमला एवं तोड़फोड़ दस्ता के साथ संयुक्त टीम ने बुधवार को प्रातः 11 बजे दुकानों के बाहर सड़क तक किये गये अवैध कब्जे को स्मृति नगर मुख्य सड़क से हटाना प्रारम्भ किया । कार्यवाही के प्रथम दिवस 40 से अधिक दुकानों के बाहर लगाये गये अवैध टीन शेड , ग्लो साईन बोर्ड, होर्डिंग्स तथा होटल के पक्के निर्माण को जेसीबी से तोड़ा गया। कुछ व्यवसायियों ने निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्यवाही को देखकर अपने दुकानों के सामने के शेड को स्वयं ही हटाना प्रारम्भ कर दिये। आयुक्त श्री सुंदरानी ने सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे सभी अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि शहर में बढ़ रहे यातायात दबाव को सर्व सुलभ बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होने क्षेत्र के व्यवसायियों से अपील की है कि दुकानदार चौड़ीकरण की सीमा रेखा के अंदर आ रहे अवैध निर्माण को स्वयं हटाकर जनता के हित में किये जा रहे कार्य में निगम का सहेयाग करें।

कार्यवाही के दौरान जोन 01 का राजस्व अमला , तोड़फोड़ दस्ता , लोक निर्माण विभाग के अधिकारी , कर्मचारी उपस्थित थे।